न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 36/2021

प्रार्थीगण :–

1. आलोक गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उम्र 42 साल, जाति –गुप्ता हाल–प्रोजेक्ट मैनेजर सिंधियों की ढाणी पचपदरा
TRANSTECH GREEN POWER PVT- LTD,
C-30, LAJAPAT MARG C SCHEME

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री प्रेमसिंह प्रार्थी वकील

दिनांक :– 25.06.2021

आदेश

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी कम्पनी के खसरा नम्बर 1053/57, 1054/57, 1055/57, 1056/57, 1057/57, 1059/57, 1060/57, 1061/57, 1062/57, 1063/57, 1064/57, 1065/57 कुल रकबा 88 बीगा 05 विस्वा मौजा सिंधियो की ढाणी पटवार हल्का पचपदरा तहसील जिला बाड़मेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 1051/57 व 1651/3 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' बरंग लाल, दर्शाये है उससे विप्रार्थी की खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्कता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को अपनी जमीन में आने–जाने में रूकावट पैदा होती है। प्रार्थी कम्पनी ने यह भी जाहिर किया की रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगी इस सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी ने रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/1068 दिनांक 24.06.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा सिंधियो की ढाणी में आवेदक के [illegible] भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1051/57 किस्म [illegible] मुमकिन राजस्थान सरकार राजस्व रैकर्ड दर्ज है [illegible] रास्ते हेतु [illegible] प्रस्तावित की है जो उपयुक्त एवं निकटतम है। जो प्रतिबंधित श्रेणी की मुमि नहीं । प्र[illegible]त मुमि की वर्तमान डी०एल०सी० दर 185200/ रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 03 बिस्वा 06 बिस्वांसी मुमि बनती है।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी वकील एवं राजकीय पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सिंधियो की ढाणी के खेत खसरा न0 1051/57 किस्म गै0मु0 खान मे से न्यूनतम दूरी का संभाव्य है। जो पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल 03 बिस्वा 06 बिस्वांसी भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा सिंधियो की ढाणी के खसरा संख्या 1051/57 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीनी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थी कम्पनी के खसरा नम्बर 1053/57, 1054/57, 1055/57, 1056/57, 1057/57, 1059/57, 1060/57, 1061/57, 1062/57, 1063/57, 1064/57, 1065/57 कुल रकबा 88 बीगा 05 विस्वा मौजा सिंधियो की ढाणी पटवार हल्का पचपदरा तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 1051/57 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 1,85,200/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 03 बिस्वा 06 बिस्वासी भूमि की राशि 30,600 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 61,200/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021 एवं प्रस्तावित नक्शे में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner